

प्रति-निर्णय दिनांक 28-12-2018

स्थगन प्रार्थनापत्र सं. R.M. 14/2018

आसूसिंह वनाम राजस्थान राज्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

— १११ —

28-12-2018 प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से सरकारी वकील उपस्थित। प्रार्थी के वकील ने इस प्रार्थनापत्र को दिनांक 26-12-2018 को Not press किया है। अप्रार्थी की ओर से सरकारी वकील ने कोई आपात्ते नहीं की है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थनापत्र Not press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। यह प्रकार मूल अपील के साथ संलग्न किया जावे। आदेश आज से इजलास सुनाया गया।

(के.डी. शर्मा)

(डी. नर-कुमार थोरी)

14/2018